न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवानः— प्राचार्य रा.उ.मा.वि दीनारपुरा बनाम तहसीलदार सीकर
किस्मः— प्रार्थना—पत्र तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956
मु.न.— 137 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
22/8/25	प्रार्थी प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 510/328, 488/328, 486/328 वाके ग्राम दीनारपुरा पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर की भूमि में काश्तकार का नाम शुद्धिकरण करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट चाही गई उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट कमांक—3220 दिनांक 28.07. 2025 प्राप्त हुई जिसके अनुसार राजस्व ग्राम दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2075—78 के खाता संख्या 253 के खसरा नम्बर 510/328 रकबा 0.80 हैक्ट, किस्म भवन व मैदान राजकीय उच्च मा.वि. बागाणा जोहडा दीनारपुरा व खाता संख्या 254 खसरा नम्बर 328/486 रकबा 0.65 हैक्ट किस्म गै.मु.स्कूल खसरा नम्बर 328/488 रकबा 0.55 हैक्ट पर विधालय भवन बना हुआ है खसरा नम्बर 328/488 मौके पर खाली है तथा खसरा नम्बर 510/328 वर्तमान में खेल मैदान व विधालय के काम में ली जा रही है। राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग कमाकं प.14(4) शिक्षा—1/जिला सीकर/2014 जयपुर दिनांक 20.10.2014 से राजकीय प्राथमिक शाला दीनारपुरा से समन्वित कर रा.मा. विधालय दीनारपुरा में मिला दिया गया था तथा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कमांक/शिविरा—मा./माध्य/अ—4/क्रमोन्नति/राउमावि /21307/2022—23 दिनांक 23.03.2022 से रा.बा.मा.वि. दीनारपुरा को रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा में कमोन्नत किया गया था। तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त रिपोर्ट मय अभिशाषां जमाबंदी, नक्शा व मौके स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 510/328 रकबा 0.80 हैक्ट रा.उ.मा.वि. बागाणा जोहडा दीनारपुरा के स्थान पर रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा, खसरा नम्बर 488/328 रकबा 0.55 हैक्ट रा.प्रा.शाला दीनारपुरा किस्म खेल मैदान के स्थान पर रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा किस्म गै.मु. स्कूल तथा खसरा नम्बर 486/328 रकबा 0.65 हैक्ट रा.प्रा.शाला दीनारपुरा किस्म गै.मु. स्कूल के स्थान पर रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा किस्म खेल मैदान शुद्ध करने बाबत् भिजवाई गई है। तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। आवेदन के तथ्यों तथा रिपोर्ट तहसीलदार सीकर से संतुष्ट होने पर प्रार्थना—पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 510/328 रकबा 0.80 हैक्ट रा.उ.मा.वि. बागाणा जोहडा दीनारपुरा के स्थान पर रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा, खसरा नम्बर 488/328 रकबा 0.55 हैक्ट रा.प्रा.शाला दीनारपुरा किस्म खेल मैदान के स्थान पर रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा किस्म गै.मु. स्कूल तथा खसरा नम्बर 486/328 रकबा 0.65 हैक्ट रा.प्रा. शाला दीनारपुरा किस्म गै.मु.स्कूल के स्थान पर रा.उ.मा.वि. दीनारपुरा किस्म खेल मैदान किये जाने की स्वीकृति भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। तहसीलदार सीकर से प्राप्त जांच रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। प्रकरण में यदि किसी दीगर व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह सक्षम न्यायालय में अपीलीय प्रावधानों के तहत चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर